तार का पताः "मिनीस्टील"
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सूचना का अधिकार

सं० ____
No. ____

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN
नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

31016/2/2013-सा.प्र.

दिनाकं 25.3.2013

सेवा में,

M/s. Asiatic Herbal Pest Control
2094/5 AK St. No.16,
Prem Nagar,
New Delhi-110008

विषयः- इस्पात मंत्रालय में कीट -नियन्त्रण पेस्ट कन्ट्रोल एवं टाईल सफाई का अनुबन्ध किए जाने के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके निविदा पत्र दिनाकं 18.02.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा दी गई दरें पेस्ट कन्ट्रोल 32/-paise प्र,वर्ग.फुट एवं टाईल सफाई 1.00/- प्र,वर्ग.फुट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है । अनुबन्ध की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक है । यदि आप इस अनुबन्ध को संलग्न शर्तों के साथ स्वीकार करते है तो इस पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर अपनी स्वीकारोक्ति हमें अवश्य भेज दें ।

2. यह पत्र समक्ष प्रधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एच के वधवा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061243

एच० के० वधवा / H. K. WADHWA
अवर सचिव / Under Secretary
इस्पात मंत्रालय / Ministry of Steel
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi
Phone:-23061243

प्रति: 1) NIC, इस्पात मंत्रालय
2) वित्त अनुभाग

हिन्दी का प्रयोग उपेक्षित नहीं है, पत्र का उत्तर शीघ्र दिया जायेगा।

शर्तें:-

1. कीटनाशिक दवाई का छिड़काव कक्षो, गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा

2. अनुबंन्धकर्ता फर्म को कीटनाशी छिडकाव से सम्बधित सभी मशीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओ/पदार्थो के नामो का उल्लेख करना होगा ।

3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रो को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे । किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रलय द्वारा वहन नही किया जायेगा ।

4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उतरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।

5. फर्म को जमानत के रूप में 5000 रूपये का डिमाड ड्राफट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा ।

6. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।

7. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।

8. अनुबंध की **अवधि** अनुंबध की अवधि अनुंबघ पत्र देने की तारीख से **एक बर्ष** तक के लिये होगी । **तथपि यदि सेवाए पूर्णता : संतोष जनक पाई गई तो अगले दो साल तक प्रतिवर्ष सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से आगे बढाई जा सकती है ।**

9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।

10. यह छिडकाव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयों के दिन/शनिवार आदि को कार्यलय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा । प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिडकाव हो जाये ।

11. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा ।

12. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्कता हो तो ।

13. फर्म को एक प्रमाण देना होगा कि वह अन्य किसी भी मंत्रालय/विभाग में इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत दरों से कम दरों पर कार्य नही कर रही है ।

एच० के० वधवा / H. K. WADHWA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi
Phone:-23061243